International Journal of Leading Research Publication (IJLRP)

E-ISSN: 2582-8010 ● Website: www.ijlrp.com ● Email: editor@ijlrp.com

अनसुनी आवाज़ : भारत में वंचित समूहों की चुनौतियां और समाधान उपविषय - मुख्यधारा मीडिया में हाशिएं के समुहो का गलत चित्रण

डॉ.अनिल कुमार मिश्र[1], पवन देव[2]

[1]शोध निर्देशक, सहायक प्रोफेसर - मीडिया अध्ययन विभाग, [2]शोधार्थी
हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर.राज.

सारांश

भारत का मीडिया आज़ादी के बाद से ही वंचित वर्गों के लोगों के साथ भेदभाव करता नजर आता हैं यहां यह कहना उचित होगा की भारत का मीडिया पक्षपात नजरिए के साथ कार्य करता हैं गौरतलब हैं की भारत का मुख्य मीडिया पूंजीवादी व्यवस्था और बाज़ारवाद के अधीन हैं. मीडिया को चाहे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तम्भ कहा जाता होएजिसका कार्य समाज के अंतिम छौर के व्यक्ति की आवाज़ होना चाहियें था और उस के संवैधानिक अधिकारों और गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवाज़ उठाना था लेकिन भारत का मुख्य मीडिया फिल्म अभिनेत्री और अभिनेता के बीच प्रेम प्रसंग और अभिनेत्री ने किस प्रकार के वस्त्र पहने हैं या राशिफल यह महत्वपूर्ण मानता हैं. जबकि दूसरी ओर एक वंचित वर्ग के दलित समुदाय के व्यक्ति की मौत सीवर लाइन और अपशिष्ट मल के मैनहॉल में जहरीले गैस से दम घुटने से हुई मौत ओर उसके पीछे के कारणों से कोई लेना देना नहीं हैं. वहाँ वह आज के दौर में मुक दर्शक की भूमिका निभा रहा हैं. भारत का मीडिया अपनी जिम्मेदारी तो भूल ही गया हैं मीडिया का मुख्य कार्य – सूचना देनाए शिक्षित करनाए जागरूकता और मनोरंजन था लेकिन अब सिर्फ मनोरंजन और पेड मीडिया और विज्ञापनए खबरों में ज्यादा दिखते हैं जिसने भारत की मीडिया का स्तर गिरा दिया हैं. जहां भारत की मीडिया सवर्ण परिवारों का आर्थिक आजीवन का साधन बन चुका हैं और इस व्यापार में सिर्फ अपने पारिवारिक लोगों को रोजगार दे रखा हैं. इन सवर्ण जाति के लोगों द्वारा अपने लाभ के लिए मीडिया का अप्रत्क्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ ले रहें हैं. यह सवर्ण जाति के लोगों को ही अपने यहां रोजगार देते हैं और जाति आधारित व्यवस्था को मजबूत करते हैं जिसमें अन्य वंचित जातियों की खबरों को यह प्रकाशित नहीं करते और करते भी हैं तो गलत तरह से तोड़ – जोड़ गलत चित्रण कर छोटे से कॉलम में प्रकाशित कर देते हैं या नहीं करते इन कारणों से विश्वस्तर पर भारत का मीडिया अपनी साख और विश्वसनीयता खो रहा हैं. द हिंदू ब्यूरो 04 मईए 2023ए के अनुसार : 2023ए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत फिसलाए180 देशों में 161वें स्थान पर इसकी तुलना मेंए पाकिस्तान इस वर्ष सात पायदान ऊपर चढ़कर 150वें स्थान पर पहुंच गया है।

वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसारए 2023 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 180 देशों में से 161 पर खिसक गई है। इसकी तुलना मेंए मीडिया स्वतंत्रता के मामले में पाकिस्तान का प्रदर्शन बेहतर रहा हैए क्योंकि उसे 150वें स्थान पर रखा गया हैए जो पिछले साल के 157वें स्थान से बेहतर है। 2022 में भारत 150वें स्थान पर था।

2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मेंए भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर हैए जो 2023 में 161वें स्थान पर रहा हैए लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता में अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक: यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (त्थ्द्ध द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट है जो दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन करती है.

भारत की स्थिति: 2024 मेंए भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर हैए जो 2023 में 161वें स्थान से थोड़ा सुधार है.

स्कोर में गिरावट: हालाँकि भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ हैए लेकिन उसका स्कोर 2023 में 36ण्62 से गिरकर 2024 में 31ण्28 हो गया है.

प्रेस की स्वतंत्रता पर चुनौतियाँ: त्थ् के अनुसारए भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को आर्थिक और राजनीतिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है.

भारत का जो मीडिया हैं वह सवर्ण मीडिया हैं उसमें दलितए आदिवासियों सहित वंचित समूहों के पत्रकारों का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर हैं वर्तमान मेंए इसी संदर्भ में 90 के दशक के मध्य में जब दलित आंदोलन उभार जोरो पर थाए भारत के दौरे पर आयें एक ब्रिटिश पत्रकार ने किसी दलित पत्रकार से मिलने की इच्छा जाहिर कीए दिल्ली के एक बड़े अखबार ने अपने माध्यमों से दलित पत्रकार तक पहुँच बनानें की कोशिश की लेकिन कोई भी दलित मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं मिलाए जिस पर इस बड़े अखबार ने बड़ा लेख लिखा जिसका शीर्षक – "एक दलित पत्रकार की खोज " सरकार से मान्यता प्राप्त 686 में से 454 सवर्ण जाति बाकी 232 किसी जाति सूचक नाम का उपयोग नहीं करते जब उनका और अध्ययन किया गया तो उन में से एक भी दलित पत्रकार नहीं मिला जब देश की आबाधी का 85 प्रतिशत लोग का मीडिया में प्रतिनिधित्व नहीं हैं और शोषण में भी इनका आकड़ा सबसे अधिक हैं. उपरोक्त आकड़ों के आधार पर यह प्रतीत हो रहा हैं की देश के मीडिया पर एक सवर्ण वर्ग का ही कब्ज़ा हैं और शोषित वर्ग के ऊपर जब जुल्म होता हैं तो यह उनकी खबरे मीडिया में नहीं लगती या कहें वंचित वर्ग के लिए और दलित वर्ग के लिए तो मीडिया में एक अप्रत्याशित सेंसरशिप हैं जो की दिखती भी हैं. आज का मीडिया सवर्ण हित साधने में लगा हैं गरीबए शोषित और मानवाधिकार हनन की घटनाओं पर वह चुपी साध लेता हैं जो की लोकत्रंत और मीडिया की भूमिका और जिम्मेदारी पर एक प्रश्न चिन्ह हैं.

भारत में वर्तमान समय में संवैधानिक और सामाजिक स्थिति में टकराव -

भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य हैं जिसमें सभी भारत के नागरिकों को समता समानता का अधिकार प्राप्त हैं. देश में संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से गरिमापूर्ण जीवन देने का वादा भारत का संविधान प्रदान करता हैं और उसकी रक्षा के लिये भारत का सर्वोच्च न्यायालय प्रतिबंध हैं. भारत में दो समांतर व्यवस्था संचालित हो रही हैं पहली जो विषमता की व्यवस्था पर आधारित हैं जो गैर बराबरीए ऊंच-नीचए छुआछूतए जातिगत भेदभावए वर्ण एवं लिंग आधारित भेदभाव की पोषक हैंए जबकि आज़ाद भारत में भारत के लोगों ने संविधान सभा के माध्यम से अपने जीवन के लिए एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित समाज की नींव रखी हैं जिसमें महिलाओंए आदिवासीए मुस्लिम सहित अन्य सांस्कृतिक वैचारिक मतभेद वाले लोग भी आपसी सहमति से रह सके. भारत के संविधान निर्माण में सभी सदस्यों ने मानवीय मूल्यों सहित समता बंधुता व न्याय आधारित द्रष्टिकोण भारत के समक्ष रखा जिससे हमारा देश वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए अपना विकास क्रम जारी रख सके. अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के विकास के साथ गरिमापूर्ण जीवन के लिए प्रतिबंध हैं. लेकिन हमारे देश में गैर-बराबरीए छुआछूत सहित विषमताओं की व्यवस्था आज भी देश के वंचित वर्गए दलितए मुस्लिमए आदिवासीए घुमंतू समुदाय सहित देश की आधी आबादी महिलाओं के समता समानता के अधिकारों को चुनौती दे रहे है. जो की पूर्णरूप से मानवाधिकार हनन सहित मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन हैं.

मुख्य शब्द – मीडिया में वंचित वर्ग का गलत चित्रण ए अप्रत्याशित सेंसरशिपए भारत का मुख्य मीडिया

साहित्य समीक्षा

वंचित वर्ग में मुख्यतया दलित आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों को माना जाता हैं हालांकि इन सब कि सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत भिन्न है लेकिन आज विश्व पटल पर मानवाधिकारों के हनन की बात की जाती हैं तो सबसे पहले वंचित वर्ग में दलितए आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग की जातियां प्रमुखता से सामने आती हैं. कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से दलितों को भारत में अनुसूचित जातियों के रूप में जाना जाता है. भारत में वर्तमान में लगभग 166ण्6 मिलियन दलित हैं.

दलित अंग्रेज़ी शब्द डिप्रेस्ड क्लास का हिन्दी अनुवाद है. भारत में वर्तमान समय में श्दलितश शब्द का अनेक अर्थों में उपयोग होता है. वैसे तो इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकतीए किन्तु मोटे तौर पर उन वर्गों को दलित कहा जाता है जो वर्तमान में अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत आते हैं. दलित शब्द का अर्थ पीड़ितए शोषितए श्दबाया हुआश एंव श्जिनका हक छीना गया होश होता है. इस अर्थ में हिन्दूए मुसलमानए ईसाई आदि सभी धर्मों में दलित वर्ग मौजूद है. वर्तमान समय में जिनको दलित समझा जाता है उनमें से अनेक वर्गों को पहले श्अछूतश या श्अस्पृश्यश माना जाता था उनका अनेक प्रकार से शोषण हुआ. भारत की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में लगभग 16ण्6 प्रतिशत या 20ण्14 करोड़ आबादी दलितों की है. दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है- दलन किया हुआ. इसके तहत वह हर व्यक्ति आ जाता है जिसका शोषण-उत्पीडन हुआ है सामूहिक रूप सेए रामचन्द्र वर्मा ने अपने शब्दकोश में दलित का अर्थ लिखा हैए मसला हुआए मर्दितए दबायाए रौंदा या कुचला हुआए विनष्ट किया हुआ.

आदिवासी – जनजाति ऐसे लोगों का समूह है जो समान वंश और संस्कृति साझा करते हैं और एक बंद समाज में अकेले रहना पसंद करते हैं. भारत की जनजातियाँ स्वदेशी या मूल निवासी हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं. आदिवासी शब्द हिन्दी शब्द श्आदिश से निकला है जिसका अर्थ है आरंभिक काल या शुरुआत सेए तथा श्वासीश का अर्थ है निवासी या निवास करने वाला ए भारत के प्रमुख आदिवासी समुदायों में गोंडए मुण्डाए खड़ियाए बोडोए कोलए भीलए सहरियाए संथालए भूमिजए होए उरांवए बिरहोरए पारधीए असुरए भिलालाए मीणाए आदि हैं. भारत में आदिवासियों को प्रायः श्जनजातीय लोगश के रूप में जाना जाता है लगभग 12ः जनजातीय आबादी उत्तर-पूर्वी क्षेत्र मेंए 5ः दक्षिणी क्षेत्र में और 3ः उत्तरी क्षेत्र में केंद्रित पाई जाती है. पाँच धार्मिक समुदायए अर्थातए मुस्लिमए ईसाईए सिख बौद्धए और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया. तत्पश्चातए 27 जनवरीए 2014 को केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया.

1 ण दलितों की स्थति एवं मूल्यांकन रिपोर्टए सारांश - दलितों की स्थति के लियें राजस्थान में दलित अधिकार केंद्र जो की मानवाधिकारो के मामले में संवेदनशील है की रिपोर्ट्स में साफ़ दर्शाया गया हैं की राजस्थान दलित अत्याचार के मामले में देश में अग्रणी हैं इसके साथ ही दलित दूल्हो को आज भी घोड़ी पर बेठने नहीं दिया जाताए दलित समाज के मृतकों की लाश को शमशान में जलाने नहीं दिया जाताए मूंछ रखने पर जान से मार दिया जाता हैंए नरेगा सहित तमाम सरकारी योजनों में जातिगत भेदभाव- छुआछूत सहित महिला उत्पीड़न की जैसी कई घटनाएँ राजस्थान में समय समय पर विभिन्न समाचार पत्रों सहित अन्य माध्यमों से सामने आती रहती है जिसके लियें राजस्थान दलित अत्याचारों में अग्रणी हैं जो की एक राज्य के लियें शर्मनाक हैं.

निष्कर्ष दृ समाज के पिछड़े तबके दलितों की सामाजिक स्थिति आज भी चिंता जनक हैं यहाँ मानव अधिकारों को उल्घंन अधिक हो रहा हैं तमाम कानूनों के बाद भी दलितों की सामाजिक स्थिति संतोष जनक नहीं हैं.

2ण जाति व्यवस्था की नई समीक्षाए किसी जाति के सदस्य सामूहिक लामबंदी करने में असफल रहते हैं अगर उनके वर्ग के हित अलग अलग होए वही भिन्न जातियों या उप जातियों के सदस्य राजनीतिक रूप से एक हो जाते हैं अगर उनके वर्ग के हित समान होए ऐसे घटनाक्रम के प्रतिमान इस भ्रम को दूर करते हैं की भारत में जाति चेतनाए वर्ग चेतना से आगें हैंए जाति आधारित मानवाधिकार हनन की घटनाओं भारत की सांस्कृतिक अपराध को बढ़ावा दे रहें हैं.

3 ण अली अनवर – सम्पूर्ण दलित आन्दोलनए पसमांदा तसव्वुर

श सभी मजहबों के दलितों के दर्द के रिश्तों पर रौशनी डालती किताब “

लेखक ने मुस्लिम धर्म और इसाई धर्म में जातिगत भेदभाव को उजागर कर उनके मानवाधिकारों को जो हनन हो रहा हैं उस और ध्यान दिलाया हैंए मुसलमानों में भी अलग अलग जात धर्म विभाजन के साथ ही छुआछूतए भेदभाव सहित अमानवीय व्यवहार के रूप में भेदभाव देखने को मिल रहा हैं मुसलमानों का चार वर्गों का विभाजन – शेख़ए सैयदए मुगल और पठान में परंपरागत नहीं हैं (1901 के लिए बंगाल प्रान्त के जनगणना अधीक्षक ने मुसलमानों में बारे में कहा) मुसलमान दो मुख्य सामाजिक विभक्त मानते हैं – अशराफ़ अथवा शरफ 2ण अजलाफ़ए अशराफ़ से तात्पर्य है “कुलीन “ और इसमें विदेशियों के वंशज तथा कथित ऊँची जाति के धर्मान्तरित हिन्दू शामिल हैं ए व्यावसायिक वर्ग और निचली जातियों के धर्मान्तरित शेष अन्य मुसलमान अजलाफ़ अर्थात् नीच उन्हें कमीना अथवा इतर कमीना या रासिलए जो रिजाल का भ्रष्टरूप हैंए बेकार कहा जाता हैं कुछ स्थानों पर तीसरा वर्ग “अरजाल” भी हैं जिसमें आनेवाला व्यक्ति सबसे निचे समझा जाता हैं उनके साथ कोई भी मुसलमान मिलेगा – जुलेगा नहीं और न उन्हें मस्जिद और सार्वजानिक स्थानों सहित कब्रिस्तानों में भी प्रवेश नहीं दिया जाता हैं.

अरजाल अथवा नीच वर्ग – भानारए हलालखोरए हिजड़ाए लालबेगए भोगताए मेहतर

निष्कर्ष – यह पुस्तक मुसलमानों में जाति आधारित व्यवस्था में जो सबसे नीची जाति कह आने वाली अरजाल मुसलमानों के दुःख और मानवाधिकार हनन को दर्शाती हैं सच्चर कमेठी के अनुसार भारत में धर्म परिवर्तन कर बने मुस्लिम और ईसाईयों की संख्या 47 प्रतिशत हैं आज इन जातियों के साथ अस्तित्व की लड़ाई सामने आ रही हैं कई जगह तो सरकारी आकड़ों में इन्हें ना तो मुसलमान माना जाता हैं ना ही हिन्दू – जैसे बक्खो जाति तमाम शोध के बाद पता लगा हैं की हिन्दू धर्म में फैले जातीय भेदभाव से त्रस्त होकर जो लोग मुस्लिम और इसाई बने हैं जातिगत भेदभाव ने उन्हें वहाँ भी समनाता नहीं दी बल्कि यह समस्या अन्य धर्मो में भी व्याप्त हो गई.

4 ण बाइज्जत बरी - साजिश के शिकार बेकुसूरों की दास्ताँ - लेखक एक पत्रकार होने अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से बेगुनाह लोगो की पुलिस हिरास्त में यातनाओं का जिक्र कर के वंचित वर्ग मानवाधिकार हनन संगठनो को भी बेपर्दा करता हैं. ख़ासकर मुस्लिम होने के कारण जो यातना

पुलिस हिरासत में बेगुनाह लोगों को दी जा रही हैं. वह रूह कपाने जैसी हैं उदाहरण मेरे पेनिस में पेन की रिफ़िल घुसाया जाता थाए रियाज़ अहम्मद मों रमजान की आप बीतीए पुलिस ने इफ्तारी के लिए ज़ेब में रखें खजूर भी फ़ेक दिएंए रज्जब अलीए जेल में मुझे कम्बल ओढ़ाकर 20 कैदी पीटा करते थेए अमनूल्लाह अंसारीए हम मुसलमान हैं इसलिए बम धमाके का इलज़ाम थोपा गया आदि. निष्कर्ष – पुलिस जिस तरह से कमजोर गरीब व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार कर उससे अपराध कबूल करवाने के लिए अमानवीय तरीकों का इस्तेमाल कर रही थी

मीडिया - एक्मंडे ने मीडिया को लोकत्रंत् का चतुर्थ स्तम्भ कहा हैं लेकिन वर्तमान समय में मीडिया अपने उदेश्य से भटक चूका हैं आज वह सिर्फ अपने हित साधने में लगा हैं इसके लियें वह पूंजीवादी ताकते या कहें पूंजीवादी व्यवस्था ने मीडिया समूहओं को भी खरीद लिया हैं इसके साथ ही क्रॉस मीडिया ओनरशिप का चलन अब आम हो चूका हैं जिसके कारण मीडिया अब सिर्फ अपने पूंजीवादी मालिकों के हित साधने और उनके कुकर्मों को छिपाने सहित सरकारों के गठबंधन को दर्शातें हैं.

5ण मीडिया का अंडरवर्ल्ड (पेड न्यूज़ए कॉर्पोरेट और लोकतंत्र) दिलीप मंडल

सारांश – 21वीं सदी मीडिया और पेड न्यूज़ के मुद्दे पर आज मीडिया की साख पर दाग लगा दिया हैं जहाँ एक और क्रॉस ओनर मीडियाशिप हैं तो दूसरी और बाज़ारवाद ने मीडिया को अपने उदेश्य से भटका दिया हैं वही पत्रकारों द्वारा पेड न्यूज़ एक गंभीर समस्या नहीं एक अपराध का रूप हैं पहले मीडिया समूह अपने रेट कार्ड के माध्यम से विज्ञापन छापते थे लेकिन अब तो "पहले अखबार बिकता हैं बाद में छपता हैं" वाक्य सत्य साबित हो गया हैं. आज खबरों को दबाने के नाम पर अवैध वसूली पत्रकारों द्वारा की जा रही हैं जिसके कई विडियों सार्वजनिक हो चुके हैं और कई पत्रकारों को जेल भी हो चुकी है और कई प्रमुख मीडिया समूह पर न्यायालय पर केस चल रहा हैं. चुनावों के समय पेड़ न्यूज़ के बाकायदा रेट कार्ड चलते हैं जिसके माध्यम से चुनावों को झूटी और आचार सहिंता के उल्लंघन की शिकायतें होती हैं मीडिया और पत्रकार पैसों और विज्ञापन के नाम पर अवैध वसूली करते हैं जो की मीडिया के मूल्यों के विपरीत हैं और लोकतंत्र के विपरीत.

निष्कर्ष – उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषणात्मक अध्ययन के बाद प्रतीत होता हैं की मीडिया अब लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ नहीं रहेगा इसके साथ ही मीडिया और पत्रकार अपनी विश्वसनीयता खो देगे. और मीडिया के सभी माध्यम सिर्फ विज्ञापन के माध्यम बन चुके होगें जहाँ पैसों के दम पर खबरे छपेगी अखबार पहले बिकेगे बाद में छपेगे. इस घटनाओं द्वारा अब यह कहना उचित होगा की मीडिया में ग़रीबए शोषित और महिलाओं के विरोध अपराध और मानवाधिकार हनन की घटनाओं को पेड न्यूज़ के माध्यम से दबा दिया जाएगा जनतंत्र अब पूंजीतंत्र में विकसित हो रहा हैं.

6. सामाजिक न्याय के कर्णधार – पी एल मीमरोठ

सारांश – राजस्थान में दलित अत्याचार और मीडिया की असंवेदनशीलता के संदर्भ में जानकारी मिलती हैं राजस्थान में दलितों के मनावाधिकर हनन के मुद्दों पर जातीय संघर्ष की कई घटनाएं हो चुकी हैं पानी के लिए हत्याए जमीन के मुद्दे पर हत्याए दलित समाज के लोगों के नाई की दुकानों पर बाल नहीं काटनाए मंदिरों में प्रवेश नहीं देनाए महिलाओं के साथ बलत्कार जैसी मानवाधिकार घटनाओं का विश्लेषण हमें देखने को मिला हैं.

निष्कर्ष – राजस्थान में जाति आधारित भेदभाव एक गंभीर मुद्दा हैं राज्य सरकारें यहाँ तमाशबीन के रूप में नज़र आती हैं घटनाओं पर कोई ख़ास कार्यवाई नहीं होती हैंए राजस्थान हमेशा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग में मानवाधिकार हनन की शिकायतों में मामलें में हमेशा सुर्ख़ियों में रहता हैं जो की राज्य सरकारों के लिए शर्मनाक हैं और मीडिया मानवाधिकार हनन की घटनाओं पर सिर्फ ओपचारिकता करता नज़र आता हैं.

शोध उदेश्य – मुख्यधारा मीडिया में हाशिएं के समुहो का गलत चित्रण अध्ययन.

शोध पध्दति

इस शोध के लिए सर्वेक्षण अध्ययन और वर्णनात्मक अनुसंधान द्वारा दलितए आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्गों के साथ साक्षात्कार और विभिन्न पहलुओं के साथ चरोए घटनाओं तथा स्थितियों के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन किया गया हैं.

शोध क्षेत्र का चयन

शोध का प्रमुख क्षेत्र राजस्थान हैं जिसमें अध्ययन के लिए बाहुल्यात् क्षेत्र का चयन किया गया हैं. राजस्थान का सम्पूर्ण क्षेत्रफल लगभग 3ए42ए239 वर्ग किलोमीटर है

आकड़ों का संग्रह विश्लेषणात्मक अध्ययन –

प्राथमिक व द्रतियक आंकड़े के माध्यम से (पायलट स्टडी)

शोध के लिएं प्रत्येक वर्ग के 25 इकाइयों का चयन किया गया हैं जो मीडिया समूह में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ें हैं उनका व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा मीडिया संस्थानों और वंचित वर्ग के लोगों और उनसे जुडी खबरों के विश्लेषणात्मक अध्ययन के पहलुओं को शामिल किया गया हैं.

1.

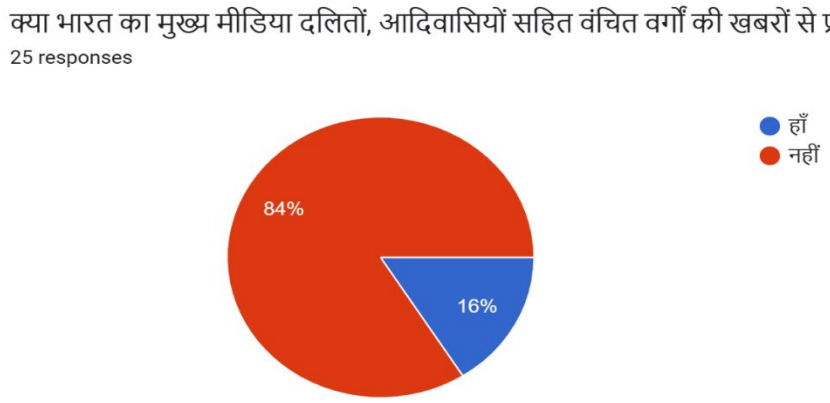

निष्कर्ष – अत: कहा जा सकता हैं की भारत का मुख्य मीडिया वंचित वर्गों और उनसे संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता नहीं देता हैं.

2.

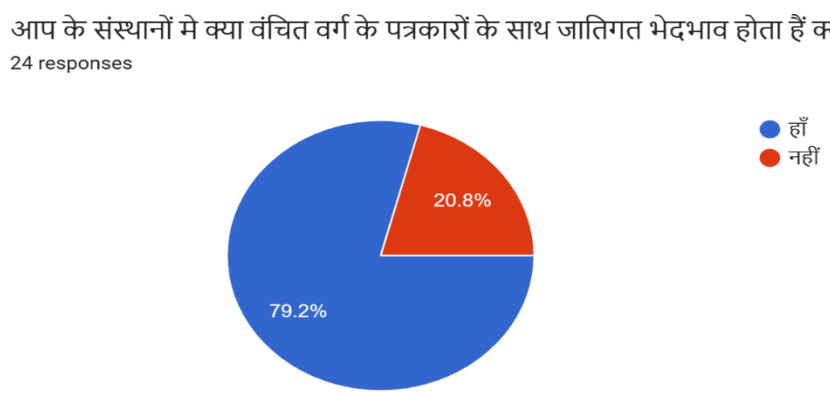

निष्कर्ष – अत: यह अंतिम निष्कर्ष हैं की मीडिया संस्थानों में भी जाति आधारित भेदभावए छुआछूत होती हैं.

3.

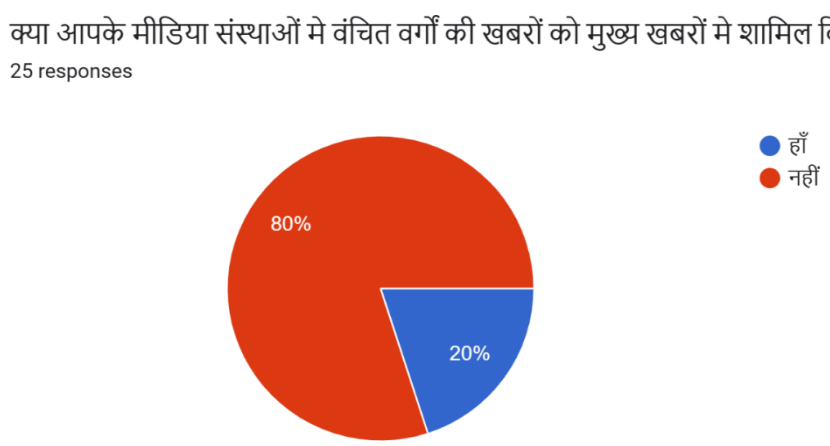

निष्कर्ष - अत: अंतिम निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता हैं की वंचित वर्गों की ख़बरें मीडिया में मुख्य खबरों के रूप में शामिल नहीं किया जाता हैं.

4 .

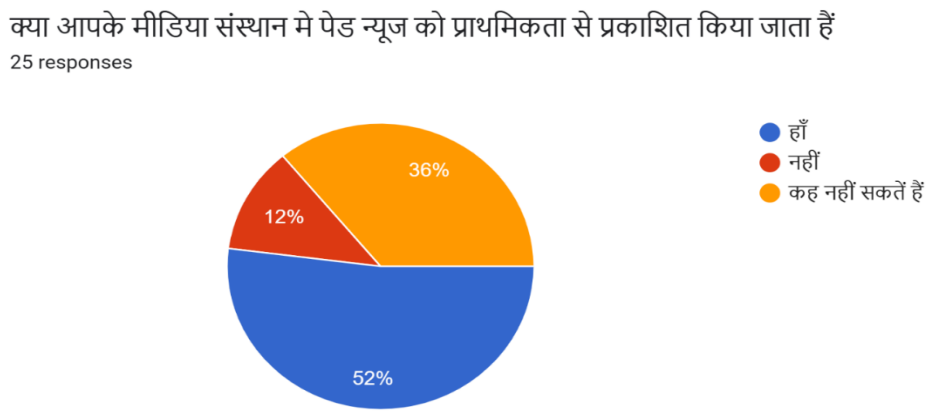

निष्कर्ष – अत: उपरोक्त आकड़ों के माध्यम से कहा जा सकता हैं पेड न्यूज़ को मीडिया संस्थानों में प्राथमिकता दी जाती हैं और मीडिया अब बाज़ारवादी व्यवस्था के अनुरूप हो रहा हैं.

5.

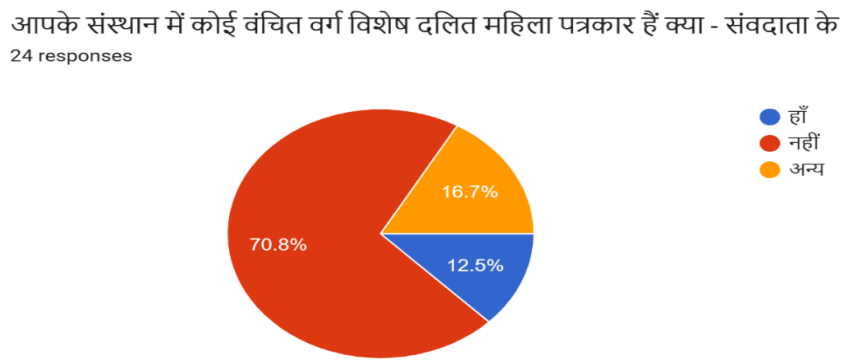

निष्कर्ष - उपरोक्त आकड़ों के आधार पर कहा जा सकता हैं मुख्य संवादाता के रूप में वंचित वर्गों का विशेषकर महिलाओं की उपस्थिति नगण्य हैं.

6.

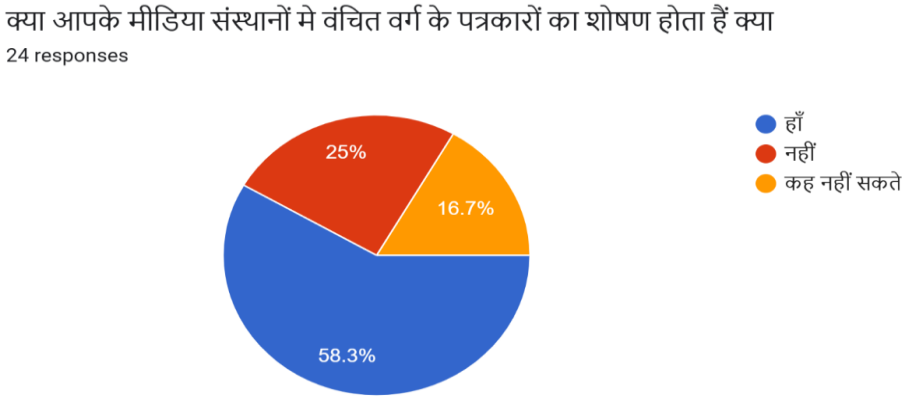

निष्कर्ष - अत: निष्कर्ष में कहा जा सकता हैं की वंचित वर्गों के पत्रकारों का मीडिया संस्थानों में शोषण होता हैं.

7.

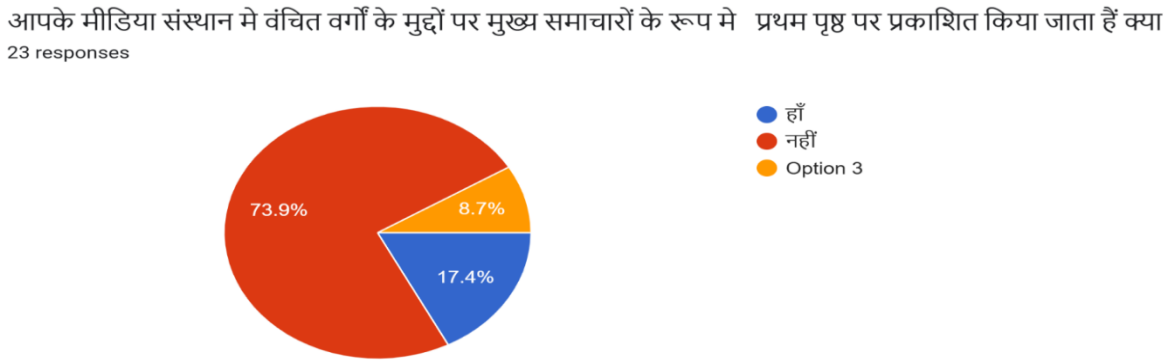

निष्कर्ष - अत: उपरोक्त आकड़ो के माध्यम से कहा जा सकता हैं की वंचित वर्गों से जुड़े समाचारों को मुख्य पृष्ट पर जगह नहीं मिलती हैं.

8.

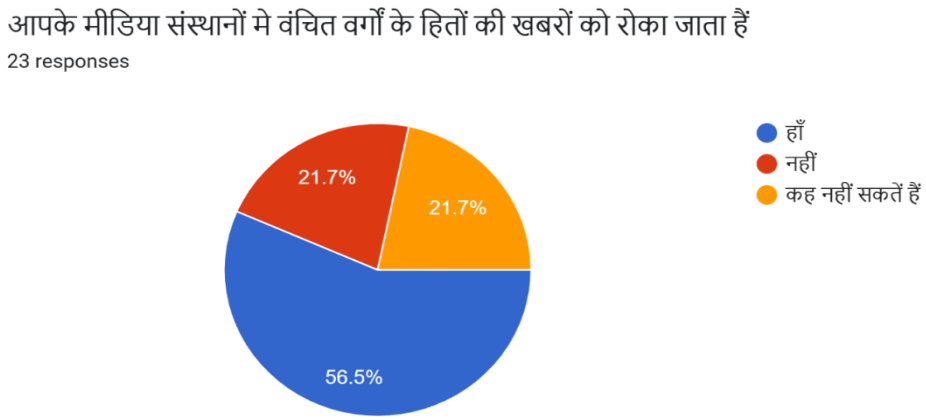

निष्कर्ष - उपरोक्त आकड़ों के माध्यम से कहा जा सकता हैं की वंचित वर्गों के हित की खबरों को मीडिया संस्थानों में रोका जाता हैं

9.

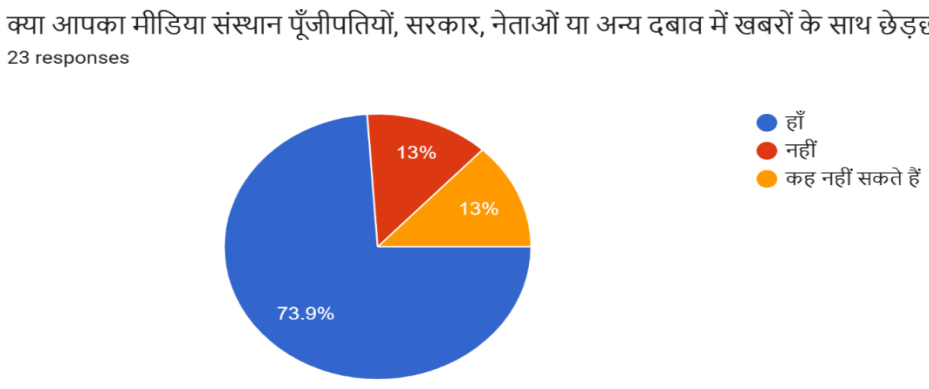

निष्कर्ष – उपरोक्त आकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता हैं की मीडिया संस्थान पूंजीवादी ताकतेए सरकार आदि ताकतों के इशारों पर खबरों के साथ छेदछाड़ और समझोता करता हैं.

10.

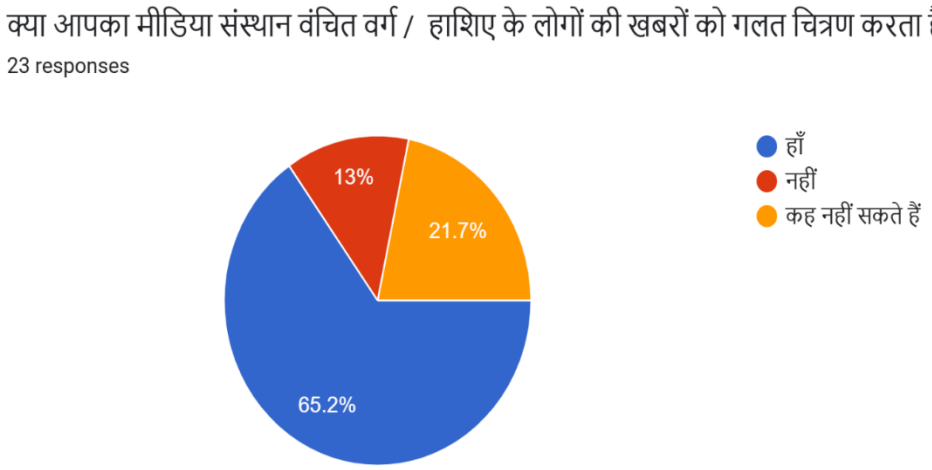

निष्कर्ष - अत: अंतिम निष्कर्ष में कहा जा सकता हैं की भारत का मुख्य मीडिया वंचित वर्गों और हाशिएं के लोगों को और उनसे जुडी खबरों को गलत चित्रण के रूप में प्रकाशित करता हैं या करता ही नहीं हैं.

निष्कर्ष सारांश – भारत का मुख्य मीडिया विषमता की व्यवस्था के रूप में कार्य कर रहा हैं साथ ही पूंजीवाद और बाज़ारवाद ने भारत के मीडिया की साख और विश्वनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं साथ ही मुख्य मीडिया में जातिगत भेदभावए शोषण सहित पेड न्यूज़ के नाम पर अनैतिक कार्य में संलग्न पाया जाता हैं और हाशिएं के समूह को गलत चित्रण करता हैं.

सुझाव - उपरोक्त अधयन्न के बाद कहा जा सकता हैं की भारत का मीडिया पर एक सवर्ण समुदाय का एकाधिकार हैं जिसका वह गलत रूप से लाभ ले रहा हैं और सिर्फ साम दाम दंड भेद की नीति के आधार पर अपना हित साधने में लगा हैं विषमताए उंच नीचए भेदभाव वाली व्यवस्था का पोषक बना हुआ हैं और वंचित वर्ग के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े मीडियाकर्मियों के साथ भी भेदभाव करता हैं अत: हाशिएं के लोगों को अब संचार के लिएं वैकल्पिक मीडिया का माध्यम से अपना मीडिया तैयार करना होगा.

संदर्भ –

1.दलितों की स्थति एवं मूल्यांकन रिपोर्ट दृ दलित मानवाधिकार केंद्र समिति (दलिती अधिकार केंद्र ए राजस्थान) ए सन -2018ए प्रकाशन - दलित मानवाधिकार केंद्र समिति

2. पुस्तक - सिंह हीराए 2019ए जाति व्यवस्था की नई समीक्षाए नई दिल्ली

3.अनवर अलीए 2023ए सम्पूर्ण दलित आन्दोलनए पसमांदा तसव्वुरए राज कमल प्रकाशन प्रा.लि नई दिल्ली

4.भल्ला मनीषए 2021ए बाइज्जत बरीए भारत पुस्तक भंडार नई दिल्ली

5.मंडल दिलीपए 2011ए मीडिया का अंडरवर्ल्डए राधा कृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली

6. मीमरोठए पी एलए 2023ए सामाजिक न्याय के कर्णधारए रिखिया प्रकाशन भीलवाड़ा

7. बैचनएस्यौराज सिंहए2009एमीडिया और दलितए गौतम बुक सेंटर नई दिल्ली

8. ीजजचेरूध्ध्ण्जीमीपदकनण्बवउध्दमेध्दंजपवदंसध्पदकपे.सपचे.पद.वतसक.चतमे.तिममकवउ.पदकमग.तंदो.161-वनज.वि.180-बवनदजतपमेध्तजपबसम66806608.मबम